सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2018 / 00144 दर्ज तिथिः—07.05.2018

1. फूसाराम पुत्र कानाराम
2. नेनूराम पुत्र कानाराम
3. जसाराम पुत्र अर्जुनराम
4. पेमी पत्नी अर्जुनराम
   जाति जाट निवासी हेराज का गोल तहसील गुडामालनी

............प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. दुर्गाराम पुत्र हिरकनराम
3. अर्जुनराम पुत्र फौजाराम
4. लुंभाराम पुत्र फौजाराम
5. पेमाराम पुत्र फौजाराम फौत के कायम मुकाम
   5/1 फुली पत्नी पेमाराम
   5/2 अशोक पुत्र पेमाराम
   5/3 मंजु पत्री पेमाराम
   5/4 दलू पत्नी पेमाराम
   5/5 तुलसी पुत्री पेमाराम
6. खुमाराम पुत्र फौजाराम
7. पारू देवी पत्नी कालूराम
   जाति जाट निवासी हेराज का गोल तहसील गुडामालानी

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— श्री मदनलाल

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—02.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

- खातेदारी आराजी खसरा संख्या 106 / 86 रकबा 36—00 बीघा मौजा हेराज का गोल पटवार मण्डल पीपराली तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
- उक्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02 के दादा रावता पुत्र गिरधारी से मूल खसरा संख्या 86 रकबा 171 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 36 बीघा जरीये पंजीकृत बयनामा दिनांक 22.04.1966 द्वारा क्रय किया गया था। उक्त आराजी 106 / 86 रकबा 36—00 बीघा पर प्रार्थीगण वक्त खरीद से काबिज काश्त हैं। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा तरमीम करते समय भूलवश गलत पैमाना मानकर लट्ठा ट्रैस में करीब 16—00 बीघा आराजी कम दर्ज करते हुए प्रार्थीगण की आराजी को पश्चात्वर्ती खरीददार अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 के खातेदारों के हिस्से में तरमीम कर दी गई। जिससे मौके व राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
- अंत में प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी आराजी खसरा संख्या 106 / 86 रकबा 36—00 बीघा की तरमीम मौका कब्जा एवं पंजीकृत बयनामा दिनांक 22.04. 1966 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया हैः—
    - कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पूर्वजों से आराजी खरीद की गई थी। उक्त खरीद के अनुसार ही राजस्व कार्मिकों द्वारा तितम्मा अंकित किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपनी मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया है। प्रार्थी मनगढत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी की उपजाऊ जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 24.11.2021 को मौके की जांच कर मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम मौका कब्जा एवं पंजीकृत बयनामा दिनांक 22.04.1966 के आधार पर दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु पंजीकृत बयनामा दिनांक 22.04.1966 प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

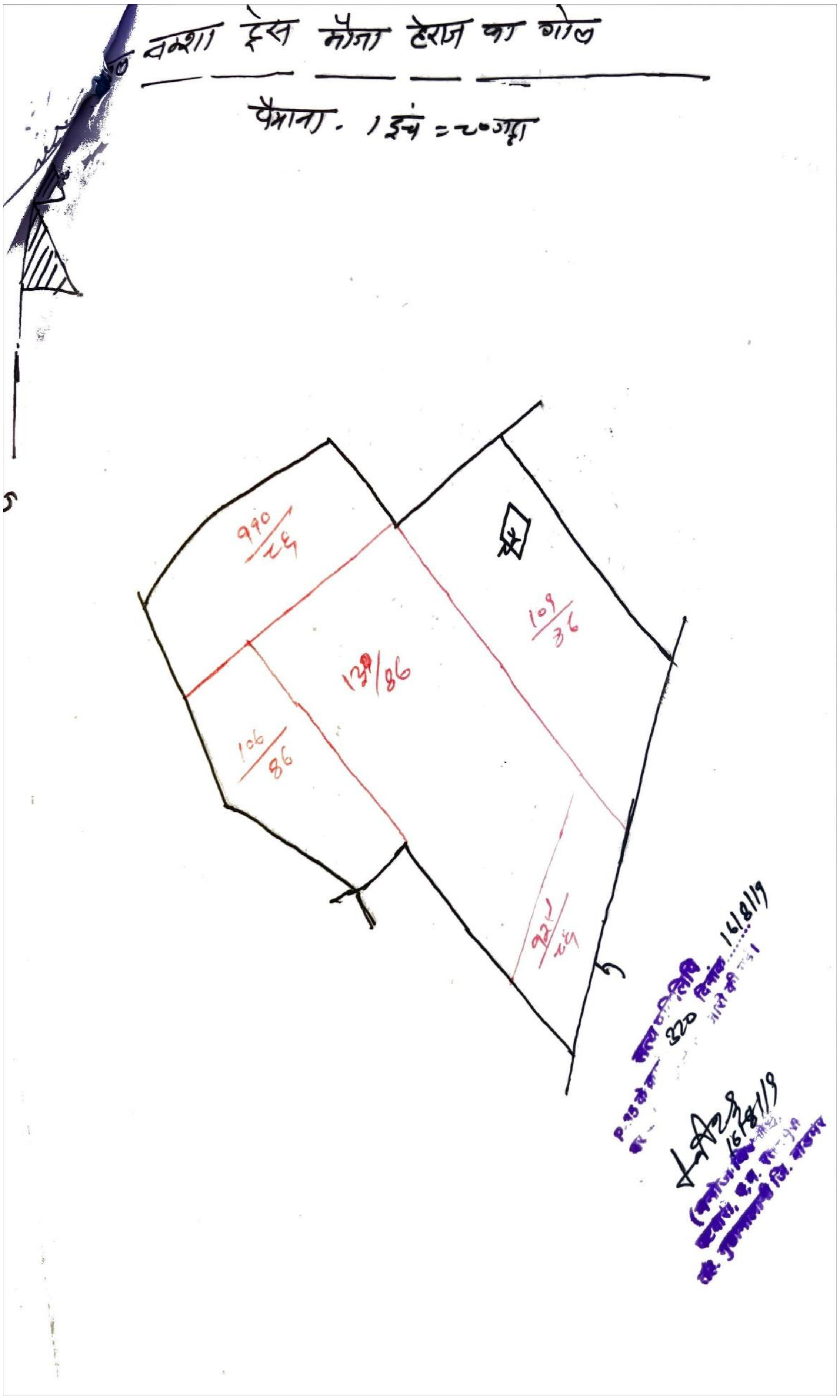

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

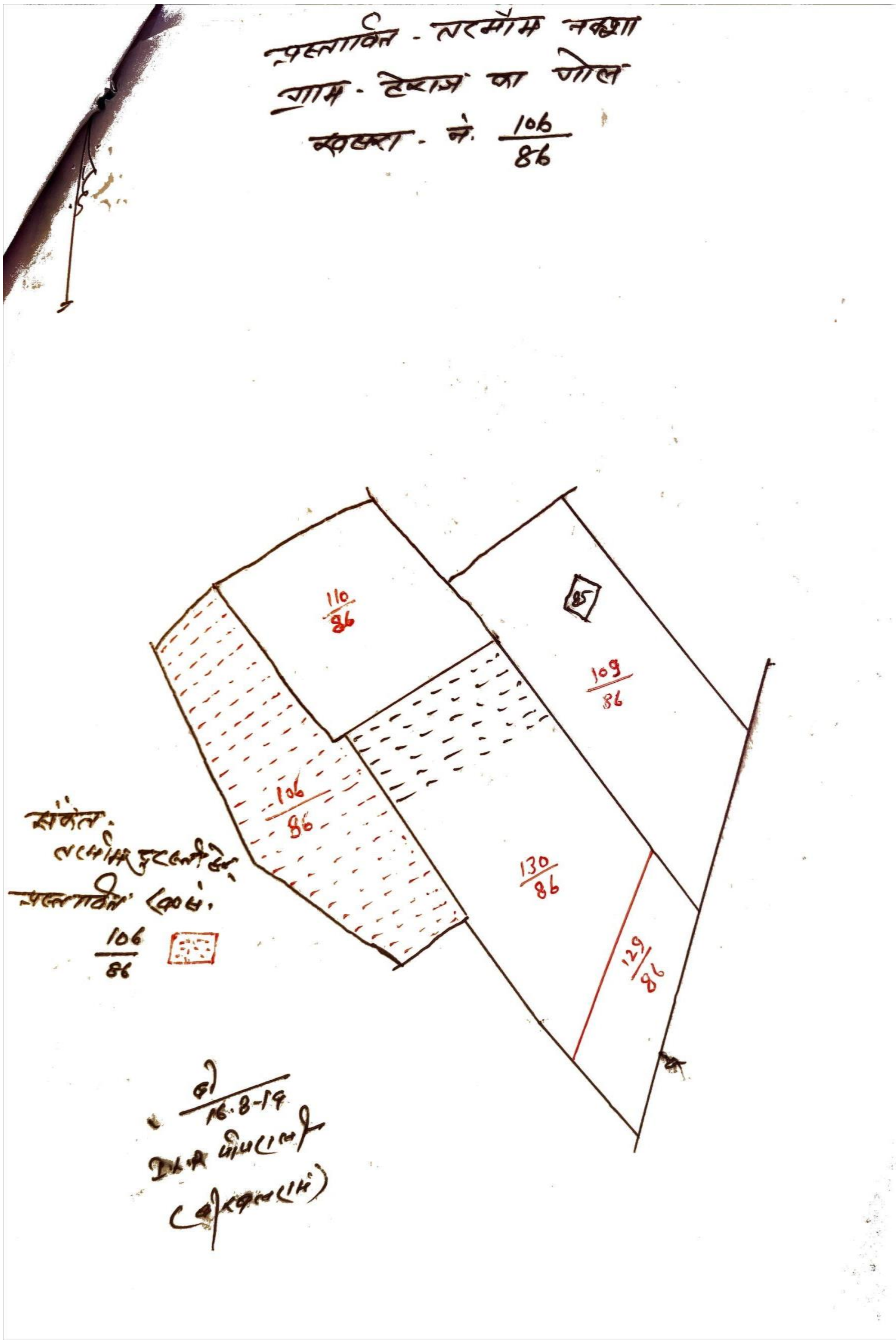

7. हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 24.11.2021 प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

गुडामालानी द्वारा के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 24.11.2021 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

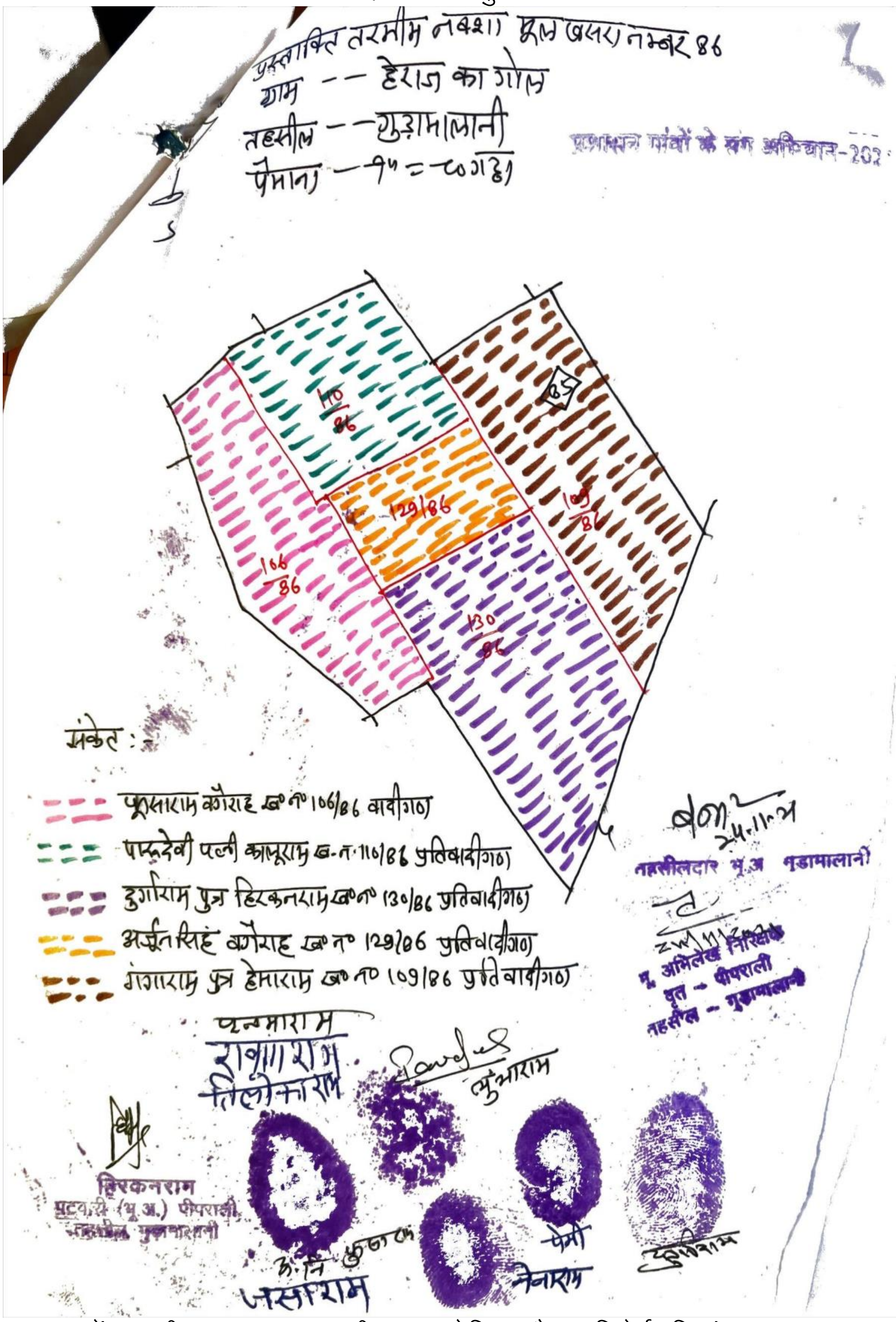

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2021 के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> मौके पर वर्तमान लट्ठा ट्रैस, जमाबंदी में दर्ज रकबे का मिलान नामांतरकरण संख्या 15, 20, 27, 66, 75 से किया गया। समस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम का अंकन नहीं होने से मौके पर बनी ढाणियां, कब्जा, काश्त, पेयजल हेतु बने टांके व खेत के चारों तरफ की हुई मेड़ अनुसार नक्शा तैयार किया जाकर तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

9. प्रकरण में इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 24.11.2021 अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 24.11.2021 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:59 IST
Reason: SelfAttested